जनपद हमीरपुर

थाना सुमेरपुर **दिनांक 14.05.2026**

थाना सुमेरपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 153/2026 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के सम्बन्ध में-

घटना व पुलिस कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद हमीरपुर के थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा महिला को गोली मारकर घायल करने की घटना में फरार अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 13.05.2026 को अभियुक्त अर्जुन निषाद पुत्र महरजवा निवासी ग्राम धुन्धपुर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर द्वारा तमंचे से फायर कर एक महिला के हाथ में गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसके संबंध में पीड़िता के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर पर मु0अ0सं0 153/2026 धारा 109 बीएनएस बनाम नामजद अभियुक्त अर्जुन निषाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त अर्जुन निषाद को थाना सुमेरपुर पुलिस टीम द्वारा मौहर चौराहा से कैथी रोड मार्ग पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी तमंचा .315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

अर्जुन निषाद पुत्र महरजवा निवासी ग्राम धुन्धपुर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान

मौहर चौराहा से कैथी रोड पर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 योगेश तिवारी	2.उ0नि0 भानु प्रताप सिंह	3.का0 सुरेन्द्र कुमार